

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Stamp Appeal No.- 219/2022****Mool Chand Golchcha Petitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	31.08.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत स्टाम्प अपील वाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के न्यायालय वाद संख्या-29/2022 में दिनांक-20.05.2022 को पारित एवं ज्ञापांक-196 दिनांक-20.05.2022 द्वारा संसूचित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी एवं राज्य की उपस्थिति है। अपीलार्थी द्वारा वाद अधिग्रहण के समय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत जमा की गई राशि के चलान की मूल प्रति की जगह छायाप्रति दाखिल किया गया है। उन्हें निदेशित किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से चलान की मूल प्रति दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उनकी ओर से न्यायालय आदेश की अनदेखी की जा रही है और उन्हें वाद के निष्पादन में कोई अभिरुचि परिलक्षित नहीं होती है। वाद को अनावश्यक लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में एवं उनकी अभिरुचि के आभाव में प्रस्तुत वाद को खारिज (Dismissed) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p>	

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.